प्रेषक

आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त कलेक्टर
उत्तर प्रदेश।

पंत्राक /लख0/2014 दिनांक जुलाई ,2014

विषय उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अर्न्तगत जनपदीय मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नई मूल्यांकन नियमावली लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-2178/शि0का0लख0/2014 दिनांक 24.06.2014 द्वारा नई नियमावली का प्रारूप संलग्न करते हुए समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन से अभिमत मांगे गये थे, जिन पर विचार किया जा रहा है। विचारोपरान्त नई नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जायेगी, जिसमे समय लग सकता है। पुनरीक्षित सर्किल रेट 01.08.2014 से लागू की जानी है, इसलिये आपको निर्देशित किया जाता हे कि वर्तमान दरो के पुनरीक्षण की कार्यवाही उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार किया जाए।

मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के समय पूर्व में इस निमित्त जारी शासनादेशों/परिपत्रों में वर्णित दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए तथा जहां तक सम्भव हो, सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण उनके वास्तविक मूल्य से निकटस्थ निर्धारित किया जाए। सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के समय यदि किसी स्थान/सेगमेन्ट के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि वर्तमान में निर्धारित दर बाजारी मूल्य ये अधिक है तो उस दर को औचित्यपूर्ण कर लिया जाय।

भवदीया
(संगीता सिंह)
अपर आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2452(1-3)/लख0/2014 दिनांक 17 जुलाई,2014

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- समस्त अपर आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
2- उपायुक्त/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।

ह0/-
(संगीता सिंह)
अपर आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।